राजस्थान-सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक 16.02.2010

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह समाधन होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि ऐयर फोर्स नेवल हाऊसिंग बोर्ड, नई दिल्ली को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आंवटित भूमि पर उक्त संस्था द्वारा निर्मित मकान, फ्लेटस के हस्तान्तरण हेतु निष्पादित विलेख पर यदि हस्तान्तरण उक्त संस्था द्वारा अपने सदस्यों के पक्ष में किया गया है, तो मुद्रांक शुल्क उक्त संस्था द्वारा निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण दस्तावेज (लिखत) पर बाजार मूल्य के बजाय हस्तान्तरण दस्तावेज (लिखत) में दिये गये वास्तविक प्रतिफल एवं प्रतिफल के रूप में संदत्त किसी भी अन्य राशि (यदि कोई हो) को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल की कुल रकम की राशि पर प्रभारित किया जावेगा।

यदि प्रथम आवंटी ऐसे मकान या फ्लेट का अंतरण किसी अन्य को करते हैं, तो ऐसे अंतरिति (ट्रांसफरी) को उक्त छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

(प.2(4)वित्त/कर/2010-79)
राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(वैभव गालरिया)
शासन उप सचिव

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(39)जन/10/3861 - 3901 दिनांकः 24-02-2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, जयपुर
2. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर/जयपुर सतर्कता।
4. समस्त उप पंजीयकगण, जिला-जयपुर।
5. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
6. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
7. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
8. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

24/2/10
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर